न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी :– सीता शर्मा आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः– 137 / 2014 **दायरा दिंनाकः– 05.08.2014**

LRCMS No. :- 2014/00172

अनवान–

1. लखवीर सिंह
2. कश्मीर सिंह

} पुत्रगण कालासिह पुत्र महताब सिह पुत्र जुमासिंह जाति रायसिख निवासी चक 5 एस एच पी डी (ए) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।

...**वादीगण**

बनाम

1. कालासिह पुत्र महताब सिंह पुत्र जुम्मासिंह जाति रायसिख निवासी चक 5 एस एच पी डी (ए) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. नंदा सिंह पुत्र महताब सिंह जाति रायसिख निवासी चक 5 एस एच पी डी (ए) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. बलंवत सिंह पुत्र महताबसिंह जाति रायसिख निवासी तूंतावाली तहसील फाजिल्का जिला फाजिल्का पजांब।
4. रूप सिंह पुत्र महताब सिंह जाति रायसिख निवासी तूंतावाली तहसील फाजिल्का जिला फाजिल्का पजांब।
5. असराबाई पुत्री महताब सिंह पत्नी रामसिंह जाति रायसिख निवासी पक्का फार्म अबोहर जिला फिरोजपुर पजांब।
6. माया पुत्री महताब सिंह पत्नी दलीपसिंह जाति रायसिख निवासी सलेमपुरा तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. पारोबाई पुत्री महताब सिंह पत्नी महंगाराम जाति रायसिख निवासी कालुवाला 25 बी डी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. छिलोबाई पुत्री महताब सिंह पत्नी बलवंत सिह मृतक।
   8/1 बलवंत सिह पुत्र साहबसिंह पति छिलोबाई
   8/2 सुरजीत सिंह
   8/3 जलजीत सिंह
   8/4 बलजिन्द्र सिंह
   8/5 छिन्द्र कौर
   } पुत्रगण व पुत्री छिलोबाई जाति रायसिख निवासी चक 23 बी डी बी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर राज0।
9. परविन्द्र कौर पत्नी गुर[illegible] निवासी चक 3 एल एल पी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
10. राजस्थान सरकार जरिये [illegible]।
11. उप पजीयक सूरतगढ।
12. शाखा प्रबंधक एस बी बी जे (ए डी बी) शा[illegible]ई धान मंडी सूरतगढ।
13. शाखा प्रबंधक आई सी आई सी आई बैंक शाखा सूरतगढ।

.....**प्रतिवादीगण**

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 137/2014)

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88–188–92 ए 207–209 आर.टी.ए. 1955

उपस्थित–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई अधिवक्ता, **वादीगण**
2. श्री अमित कुमार सैनी अधिवक्ता, **प्रतिवादी न0 1**
3. श्री राकेश कुमार मनचंदा अधिवक्ता, **प्रतिवादी न0 3–5 ता 7, 8/1 से 8/5**
4. प्रतिवादी न0 4–9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
5. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।
6. श्री जसवीर सिंह बराड, **अधिवक्ता 2**

निर्णय

दिंनाकः– 07.06.2024

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ)

यह पत्रावली प्रस्तुत हुई वकुलाम फरिकेन उपस्थित। बहस सुनी गई। वाद पत्र के संक्षेप मे विचारणीय तथ्य इस प्रकार से है कि जिस भूमि का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है वह भूमि चक 5 एस एच पी डी (ए) पटवार हल्का 6 एस एच पी डी भु0 अभि0 नि0 क्षेत्र सरदारगढ तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सवंत 2067 ता 2070 के खाता स0 27/24 हाल जमाबन्दी संवत 2075 ता 2078 के खाता स0 13/11 के प0 न0 76/338 मु0 न0 28 के किला न0 1/2 ता 25/2 की 6.2000 है0 (6.075 कमाण्ड 0.1250 है0 खाला) वादीगण के दादा व प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 के पिता महताबसिंह पुत्र जुमासिंह को पुख्ता आवंटन होकर उनके कब्जाकाश्त मे चली आ रही थी। वादीगण के दादा ने स्वंय को आवटित 25 बीघा भूमि मय रास्ता खाला के जैरवाद भूमि चक 5 एस एच पी डी ए के प0न0 76/338 की 25 बीघा की एक वसीयत दिंनाक 21.8.2003 को 12.10 बीघा की अपने पुत्र प्रतिवादी न0 1 नदांसिह को व 12.10 बीघा की वादी स0 1 व 2 लखबीर सिंह व कश्मीर सिंह पुत्रगण कालासिह जो प्रतिवादी न0 1 के पुत्र व महताब सिह के पोते है ब0 हि0 ब0 रोबरू गवाहान तस्दीक करवा दी गई थी व वादीगण के दादा का स्वर्गवास दिंनाक 8.10.2009 को हो जाने पर वसीयत के आधार पर तहसीलदार सूरतगढ ने इन्तकाल दर्ज करने का आदेश पारित करने पर दिंनाक 12.10.2010 को इन्तकान न0 108 वादीगण एवं प्रतिवादी न0 3 के नाम मुताबिक वसीयत तस्दीक कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के अपील हो जाने पर उनके द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण पुन तहसीलदार सूरतगढ को प्रतिप्रेसित करने का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध मा0 सभांगीय आयुक्त बीकानेर की अदालत मे अपील प्रस्तुत करने पर दोनो पक्षो को सुनकर अपील निरस्त कर देने पर तहसीलदार सूरतगढ ने अलौटी महताबसिंह के जायज [illegible] के नाम विरास्तन इन्तकाल न0 149 दिंनाक 7.6.2013 को प्रतिवादीगण [illegible] के नाम ब0 हि0 बराबर दर्ज करने से पूर्व ही प्रतिवादी स0 5 ता 7 व 8/1 [illegible]/5 ने अपना $\frac{1}{8}-\frac{1}{8}$ हिस्सा की दस्तबरदारी प्रतिवादी न0 2 नंद सिह के नाम [illegible]रवा दी व इस प्रकार नंद सिंह के नाम 5/8 व प्रतिवादी 1–3–4 के नाम से $\frac{1}{8}-\frac{1}{8}$ हिस्सा का विरास्तन इन्तकाल दर्ज कर दिया गया। इन्तकाल दर्ज होते ही प्रतिवादी संख्या 2 नंदसिंह ने अपने हिस्सा की भूमि में से जरिये बैयनामा दिनांक 10.06.2013 को 1.519 हैक्टेयर भूमि श्रीमती

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:45:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

(वाद संख्या:– 137 / 2014)

परविन्द्रकौर पत्नी गुरदाससिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एलएलपी(16 एस.टी.बी.)तहसील सूरतगढ़ के नाम उप–पंजीयक कार्यालय सूरतगढ़ में बैयनामा पंजीबद्ध करवाकर मौका पर उतनी ही भूमि का कब्जा काश्त सौप दिया था। नंदसिंह ने जैरवाद भूमि में अपने शेष रहे रकबा में से जरिये बैयनामा दिनांक 03.06. 2022 को 0.5060 हैक्टेयर कमांड खातेदारी व दिनांक 08.02.2024 को 0.633 हैक्टेयर कमांड दोनो बार में 1.139 हैक्टेयर कंमाड भूमि का बैयनामा अरूण गोदारा पुत्र कृष्ण गोदारा जाति जाट निवासी चक 8 एस.एच.पी.डी. तहसील सूरतगढ़ के पक्ष में उप–पंजीयक कार्यालय सूरतगढ़ में बैयनामा पंजीबद्ध करवा दिया व मौका पर उतनी ही भूमि का कब्जा खरीददारों को सौप देने से प्रतिवादी सख्या 2 नंदसिहं के पास शेष 0.999 हैक्टेयर भूमि शेष रही जिसका कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 2 के पास हैं।

वादीगण ने इस अदालत मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भूमि धारक महताब सिंह स्वयं कौ जैरवाद भूमि आवंटित हुई थी व उनके द्वारा ही सारी किश्ते जमा करवाई गयी थी व रोबरू गवाहान उनके द्वारा ही अपनी इच्छा से जैरवाद भूमि मे से 1/2 हिस्सा वादीगण को ब0हि0ब0 व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी न0 2 के पक्ष मे वसीयत करवा कर नोटेरी से तस्दीक करवाई गयी थी जो किसी भी सक्षम अदालत द्वारा आज तक निरस्त नही की गई है व वादपत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि भूमि धारक महताब सिह के पास उनकी स्वयअर्जित 24.10 बीघा भूमि मय खाला थी उसकी वसीयत उनके द्वारा दिनाक 21.8.2003 को करवाई गई थी व उसी अनुसार वादपत्र डिक्री किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब करने पर प्रतिवादीगण स0 1 ता 3, 5 ता 9 की तरफ से उनके अभिभाषकगण उपस्थित हुये व प्रतिवादी न0 4 बावजुद तामील के हाजिर अदालत नही आने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अलम मे लायी गयी व वादपत्र के साक्ष्य वादी करवाये जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादीगण बाबत नीयत की हुई थी परन्तु दिंनाक 20.5.2024 को वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनाका प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि पक्षकारों मे आपसी सहमति हो गई व पक्षकार चाहते है कि भूमि धारक महताब सिह के द्वारा दिंनाक 21.8.2003 को की गई वसीयत के मुताबिक ही वादपत्र का निर्णय किया जाकर डिक्री पारित करने पर वो सहमत है। पत्रावली मे नियत दिंनाक 24.5.2024 को उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई वादीगण के विद्ववान अधिवक्ता ने अपनी बहस मे मुख्य रूप से वादपत्र मे वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुये बहस की भूमिधारक महताबसिह जो वादीगण का दादा व प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 के पिता थे उन्होने अपने स्व[illegible]टित स्वयअर्जित जैरवाद भूमि की वसींयत दिनाक 21.8.200[illegible] [illegible]रास्ता के जैर वाद 25 बीघा भूमि मे से 1/2 हि[illegible] [illegible] व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी न0 2 नंदसिंह के पक्ष मे रोबरू गवाहान अपनी स्व[illegible] से तहरीर व तस्दीक करवा दी थी व वसीयतकर्ता महताबसिह की दिनाक 8.10.2009 को स्वर्गवास हो जाने पर वसीयत लागू होने पर उसी अनुसार वादपत्र वादीगण व प्रतिवादीगण वादपत्र को डिक्री करवाना चाहते है चुंकि मुख्य रूप से वसीयत इन दोनो पक्षो के पक्ष मे की गई थी अन्य प्रतिवादीगण स0 5 ता 8 ने अपना हक व हिस्सा पहले ही त्याग दिया था व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:45:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्या– 137 / 2014)

अन्य प्रतिवादीगण ने अपना अपना जवाब दावा व जवाब इकबाल दावा प्रस्तुत किया हुआ है। वादीगण के लायक अभिभाषक ने अपनी बहस मे अदालत का ध्यान अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ द्वारा वसीयत के आधार पर दर्ज इन्तकाल के विरूद्व पारित निर्णय की और आर्कषित करते हुये निवेदन किया कि इन्तकाल से किसी को अधिकार प्राप्त नही होते है व जंहा उसी भूमि बाबत वादपत्र सक्षम न्यायालय मे जैरकार हो व वसीयत के आधार पर इन्तकाल की कार्यवाही भी चल रही हो तो मूल इन्तकाल को निरस्त कर उसकी कार्यवाही स्थगित रखते हुये दावा के निर्णय के अनुसार ही रिकार्ड मे पक्षकारो के नाम रकबा अंकन किया जावेगा। इस बाबत विद्ववान अभिभाषक ने आर आर टी 2014 सी आई पेज 97 दाताराम बनाम घीसाराम आदि रीविजन न0 10158 / अलवर 2004 निर्णय 29.7.2013 प्रस्तुत कर अपने कथन को बल दिया गया उनके द्वारा आर बी जे 1998 पेज 487 प्रस्तुत करके निवेदन किया गया कि जैरवाद भूमि का जो विरास्तन इन्तकाल दर्ज किया गया था वह पचांयत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज किया गया था परन्तु मा0 राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित इस निर्णय मे सिद्वात प्रतिपादित किया है कि सरपंच को वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का कोई कानुनी अधिकार नही है व इस प्रकार सरपंच द्वारा जारी वारिसनामा के आधार पर दर्ज इन्तकाल अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तस्दीक किया हुआ होने से प्रभाव शून्य होगा। इस बाबत राजस्थान सरकार के पचांयती राज विभाग द्वारा जारी आदेश कमांक / एफ 15 (69) परावि0 / विधि / ग्रा0 प. मार्ग / जयपुर / 2019 / 1801 जयपुर दिंनाक 30.8.2019 एवं परिपथ कमांक / 2021 / 969 दिनाक 27.3.2021 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि है कि पचांयत अधिनियम मे वारिसनामा या कुर्सीनामा या उत्तराधिकार पत्र पचायंत को जारी करने का कोई कानुनी अधिकार नही है इसलिए इस प्रकार के प्रमाण पत्र मान्य नही है। अपनी बहस मे लायक अभिभाषक द्वारा आर आर टी 2014 सी आई पेज 509 अनवान कमलादेवी बनाम चम्पालाल आदि अपील डिकी टी ए न0 2049 / हनुमानगढ 2004 निर्णय दिंनाक जंजीर सिह आदि अपील डिकी टी ए / 830 / 2012 हनुमानगढ निर्णय दिंनाक 2.2.2023 पैरा II प्रस्तुत कर जैरवाद भूमि की जो प्रतिवादीगण स0 5 ता 8 द्वारा हकत्याग प्रतिवादी न0 2 के पक्ष मे किया गया था वह भी कानुन समत नही था चुंकि उपर वर्णित निर्णयो मे मा0 राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर ने अपना मत व्यक्त किया है कि प्रथम तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे हकत्याग का कोई प्रावधान ही नही है व माना भी जावे तो हकत्याग करने वाला किसी एक व्यक्ति के पक्ष मे [illegible] व किसी एक पक्षकार के पक्ष मे माना जावेगा। परन्तु जैरवाद भूमि मे प्रतिवादीगण स0 5 ता 8 ने प्रतिवादी न0 2 नंदसिंह के पक्ष मे हकत्याग किया था [illegible] स्वयं राजीनामा के आधार पर वसीयत के अनुसार ही वादपत्र डिक्री [illegible] पर सहमत होने से दस्तबरदारी होने का प्रभाव स्वत ही शून्य रह जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:45:34 IST
Reason: SelfAttested

विद्ववान अभिभाषक वादी ने श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ द्वारा अपील स0 169 / 2012 निर्णय दिनाक 27.5.2013 मे यह माना गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 के तहत एक खातेदार काश्तकार ही

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

(वाद संख्याः– 137 / 2014)

वसीयत करवा सकता है। इस बात से सहमति व्यक्त करते हुये लायक अभिभाषक ने अपनी बहस में अदालत को बताया कि जैरवाद भूमि वसीयतकर्ता महताबसिंह को दिंनाक 20.6.2000 को आवटन हूई थी। जिसके खातेदारी अधिकार दिंनाक 31.7.2007 को जारी हो गयी थे व वसीयतकर्ता की मृत्यु दिंनाक 8.10.2009 को हुई थी। हां यह बात सही है कि वसीयत दिंनाक 21.8.2003 को की गई थी परन्तु किसी व्यक्ति के द्वारा लिखवाई गयी वसीयत उस समय लागु होती है जिस दिन वसीयत करने वाले की मृत्यु होती है तो वसीयत की गई भूमि वसीयत करने वाले की मृत्यु के समय भूमि खातेदारी है तो वसीयत खातेदारी भुमि की ही मानी जावेगी और जैरवाद भूमि की वसीयत महताबसिंह ने वर्ष 2003 मे की थी उस समय भूमि गैर खातेदारी थी परन्तु वर्ष 2007 मे जैरवाद भूमि की खातेदारी जारी हो गई थी व वसीयतकर्ता महताब सिह की मृत्यु दिंनाक 8.10.2009 को हुई। कानुनी प्रावधान यह है कि वसीयत करने वाले के मृत्यु के दिन ही वसीयत प्रभाव मे आती है। मृत्यु से पुर्व वसीयत का कोई वजूद ही नही होता है। इसलिए महताबसिंह वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय रकबा खातेदारी था। इसलिए वसीयत को इस आधार पर नकारा नही जा सकता कि रकबा खातेदारी नही था। इस कानुनी बिन्दु का निस्तारण मा0 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय अपील / एल आर / 5400 / 2008 श्रीगंगानगर अनवानी नसीब कौर व अन्य बनाम इन्द्रो उर्फ छिन्द्रो व अन्य मे करते हुये निर्णय दिया है कि '' वसीयत–वसीयत की वैधता यह सही है कि गैरखातेदारी भूमि की वसीयत निष्पादित नही की जा सकती लेकिन जब वसीयत का कियान्वन हुआ उस समय भूमि खातेदारी की भूमि थी। हमारे विनम्र मत मे विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह कथन कि वसीयत गैर खातेदारी भूमि नही की जा सकती। जबकि प्रस्तुत प्रकरण मे भूमि पहले गैर खातेदारी की थी परन्तु वसीयत कियान्वन के समय खातेदारी की रही है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रत्यार्थी का यह कथन स्वीकार किये जाने योग्य नही है कि वसीयत गैर खातेदारी भूमि की की गई है''। वसीयत का पजींकृत होना भी आवश्यक नही है। पैरोकार राज ने अपनी बहस मे मुख्य रूप से अपना तर्क प्रस्तुत करते हुये बहस की गई कि वसीयत करते वक्त रकबा गैर खातेदारी का रहा है इसलिए वसीयत को नही माना जावे।

सभी पक्षो द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विभिन्न कानुनी बिन्दुओ पर प्रस्तुत कानुनी निर्णयों को सहसम्मान अध्ययन किया गया व दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का भी कानुनी परिपेक्ष मे अध्ययन किया गया। जैरवाद प्रकरण मे मुख्य कानुनी बिन्दु यह है कि जैरवाद भूमि [illegible] की गई थी उस समय यह भुमि गैर खातेदारी की रही है। व वसीयत [illegible] की [illegible] के समय से पुर्व यह खातेदारी की हो गई थी तो क्या [illegible] मानी जावेगी या गैर खातेदारी की। इस बिन्दु पर मा0 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय आर बी जे 2023 पेज 50 मे यह व्य[illegible]ा दी है कि वसीयत करते वक्त भुमि गैर खातेदारी की हो व वसीयत करने वाले की मृत्यु के समय वसीयती भूमि खातेदारी हो गई है तो वह वसीयत खातेदारी भूमि की ही मानी जावेगी। चुंकि वसीयत उस व्यक्ति के मरने पर कियान्वति होती है इस प्रकरण मे भी वसीयतकर्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:45:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 137 / 2014)

महताबसिंह ने जिस भूमि की वसीयत की थी वह भूमि वसीयतकर्ता के मरने के समय से काफी समय पूर्व ही खातेदारी की हो गई थी। इस लिए वसीयत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 के प्रावधान की पालना मे ही हुई मानी जायेगी। व जैरवाद भूमि भी वसीयत करने वाले की स्वंयअर्जित भूमि होने के परिपेक्ष मे वसीयत करने के कानुनी अधिकारी था। बहस के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि जमाबन्दी मे दर्ज खातेदारो के खाते की भूमि अलग अलग बैंको मे रहन दर्ज है वही खातेदार काश्तकारो की बहस है कि उनके द्वारा रहन की समस्त राशि बैंको मे जमा करवाकर बकाया ना होने का प्रमाण पत्र जारी करवाया हुआ है। जिस पक्षकार ने जैरवाद भुमि का बैंक से लिया गया ऋण चुक्ता कर दिया है तो वो नो डयुज प्रमाण पत्र प्राप्त कर ऋण के नोट तहसीलदार के आदेश से नोट हटवाने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है व ऋण बकाया है तो ऋणी बैंक मे राशि जमा करवाने का उत्तरदायी होगा। माननीय सभांगीय आयुक्त ने उनकी अदालत मे अपील के निर्णय के विरूद्व चल रही अपील न0 211 / 2014 अनवानी लखवीर सिंह आदि बनाम कालासिंह आदि मे दिंनाक 21.3.2016 को जो निर्णय पारित किया है कि जैरवाद भूमि के हकों का निर्णय वाद स0 137 / 2014 के अनुसार तय होगा। वादपत्र मे दोहराने सुनवायी 10 तनकीयात कायम की गई थी उनका अवलोकन करने पर भी मुताबिक दस्तावेजी साक्ष्य तनकी न0 1 के अनुसार रकबा वसीयतकर्ता को आवंटित होने से उसका स्वयअर्जित या स्वयअर्जित भूमि की वसीयत किये जाने का प्रावधान रहा है। तनकी न0 2 की पालना मे राजीनामा के अनुसार मुताबिक वसीयत वादीगण व प्रतिवादीगण न0 2 अपने को खातेदार घोषित करवाने के कानुनी अधिकार प्राप्त करने कानुन समत प्रतीत होते है। तनकी न0 3–4 के अनुसार पचांयत को वारिस प्रमाण पत्र जारी ना करने बाबत राजस्थान सरकार द्वारा भी परिपत्र जारी किये गये है व विभिन्न निर्णयों मे भी यह मत व्यक्त किया गया हे कि सरपंच / पचांयत को वारिस प्रमाण पत्र या कुर्सीनामा जारी करने का अधिकार क्षेत्र नही है। जहां तक तनकी न0 5 का कानुनी क्या प्रभाव है बाबत भी मा0 न्यायालय राजस्व मंडल–उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयेां मे यह मत व्यक्त किया गया है कि एक खातेदार अपने परिवार के सहखातेदारों मे से किसी एक के पक्ष मे अपना हकत्याग नही कर सकता अगर किसी एक के पक्ष मे हकत्याग माना जाने की व्यवस्था की गई है। तनकी न0 6, 7 , 8 पुर्व मे निर्णय तनकीयो के निर्णयो के अनुसार ही निर्णित रहेगी। जैरवाद भूमि की किस्म मे अन्तर होने से भूमि की मात्रा मे थोडा बहुत अन्तर है जिसपर भी माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा जारी दिशा निदेर्शो मे भी यह कहा गया है कि भूमि [illegible] के आधार पर पक्षकार भूमि हक की मात्रा से आपसी सहमति से कम ज्यादा हक प्राप्त करने की पात्रता रखते है। पत्रावली मे प्रस्तुत साक्ष्य रिकार्ड व प्रस्तुत [illegible] निर्णयो के अवलोकन व राजीनामा प्रस्तुत होने के बाद अदालत मुताबिक वसी[illegible] / राजीनामा के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना कानुन समत है।

अतः वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जाता है कि वसीयत के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण न0 2 को जैरवाद भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:45:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 137/2014)

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व मुताबिक राजीनामा व बैयनामा के चक 5 एस एच पी डी (ए) की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 (जमाबन्दी 2077 वर्ष 2021 से स्थायी) पटवार हल्का 6 एस एच पी डी भू0 अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सरदारगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के खाता स0 नया 13 पुराना 11 के प0न0 76/338 (28) के किला न0 1/2 ता 25/2 के कमाण्ड 6.0750 है0 खाला 0.1250 है0 कुल मय खाला 6.2000 है0 भूमि मे वादीगण 1 व 2 लखवीरसिंह –कश्मीरसिंह पुत्रगण कालासिंह को 2.5430 है0 मय खाला खातेदारी में बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 2 नंदसिंह पुत्र महताबसिंह को 0.9990 है0 मय खाला खातेदारी व बैयनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 9 परविन्द्रकौर पत्नी गुरदाससिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एलएलपी(16 एस.टी.बी.) तहसील सूरतगढ़ को 1.519 हैक्टेयर कमांड मय खाला खातेदारी व अरूण गोदारा पुत्र कृष्णगोदारा जाति जाट निवासी चक 8 एस.एच.पी.डी. तहसील सूरतगढ़ को 1.1390 हैक्टेयर कमांड मय खाला खातेदारी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाते है। जमाबन्दी मे दर्ज नाम व हिस्सा प्रतिवादी न0 1 कालासिंह, प्रतिवादी न0 3 बलवन्त सिह व प्रतिवादी न0 4 रूप सिंह के नाम कलमजन किये जाते हैं व प्रतिवादी संख्या 2 नंद सिह के नाम पूर्व से दर्ज 5/8 हिस्सा के स्थान पर मुताबिक डिक्री 0.999 है0 मय खाला दर्ज किया जावे। तहसीलदार सूरतगढ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे अमलदरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिंनाक 07.06.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाय गया।

(सीता शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:45:34 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – सीता शर्मा, आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

1. लखवीर सिंह
2. कश्मीर सिंह

} पुत्रगण कालासिह पुत्र महताब सिह पुत्र जुमासिंह जाति रायसिख निवासी चक 5 एस एच पी डी (ए) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।

...वादीगण

बनाम

1. कालासिह पुत्र महताब सिंह पुत्र जुम्मासिंह जाति रायसिख निवासी चक 5 एस एच पी डी (ए) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. नंदा सिंह पुत्र महताब सिंह जाति रायसिख निवासी चक 5 एस एच पी डी (ए) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. बलंवत सिंह पुत्र महताबसिंह जाति रायसिख निवासी तूंतावाली तहसील फाजिल्का जिला फाजिल्का पजांब।
4. रूप सिंह पुत्र महताब सिंह जाति रायसिख निवासी तूंतावाली तहसील फाजिल्का जिला फाजिल्का पजांब।
5. असराबाई पुत्री महताब सिंह पत्नी रामसिंह जाति रायसिख निवासी पक्का फार्म अबोहर जिला फिरोजपुर पजांब।
6. माया पुत्री महताब सिंह पत्नी दलीपसिंह जाति रायसिख निवासी सलेमपुरा तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. पारोबाई पुत्री महताब सिंह पत्नी महंगाराम जाति रायसिख निवासी कालुवाला 25 बी डी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. छिलोबाई पुत्री महताब सिंह पत्नी बलवंत सिह मृतक।
   8/1 बलवंत सिह पुत्र साहबसिंह पति छिलोबाई
   8/2 सुरजीत सिंह
   8/3 जलजीत सिंह
   8/4 बलजिन्द्र सिंह
   8/5 छिन्द्र कौर
   } पुत्रगण व पुत्री छिलोबाई जाति रायसिख निवासी चक 23 बी डी बी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर राज0।
9. परविन्द्र कौर पत्नी गुरदास सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एल एल पी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदा[illegible] सूरतगढ।
11. उप पजींयक सूरतगढ[illegible]
12. शाखा प्रबंधक एस [illegible] (ए डी बी) शाखा नई धान मंडी सूरतगढ।
13. शाखा प्रबंधक आई सी आई सी आई बैं[illegible]शाखा सूरतगढ।

.....प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:45:34 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 207, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 137 वर्ष 2014 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री भागीरथ बिश्नोई व वकील प्रतिवादी संख्या 1 श्री अमित सैनी, प्रतिवादी संख्या 3–5 ता 7, 8/1, से 8/5 श्री राकेश मनचन्दा, प्रतिवादी सख्या 2 श्री जसवीर बराड़ व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जाता है कि वसीयत के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण न0 2 को जैरवाद भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व मुताबिक राजीनामा व बैयनामा के चक 5 एस एच पी डी (ए) की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 (जमाबन्दी 2077 वर्ष 2021 से स्थायी) पटवार हल्का 6 एस एच पी डी भू0 अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सरदारगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के खाता स0 नया 13 पुराना 11 के प0न0 76/338 (28) के किला न0 1/2 ता 25/2 के कमाण्ड 6.0750 है0 खाला 0.1250 है0 कुल मय खाला 6.2000 है0 भूमि मे वादीगण 1 व 2 लखवीरसिंह –कश्मीरसिंह पुत्रगण कालासिंह को 2.5430 है0 मय खाला खातेदारी में बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 2 नंदसिंह पुत्र महताबसिंह को 0.9990 है0 मय खाला खातेदारी व बैयनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 9 परविन्द्रकौर पत्नी गुरदाससिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एलएलपी(16 एस.टी.बी.) तहसील सूरतगढ़ को 1.5190 हैक्टेयर कमांड मय खाला खातेदारी व अरूण गोदारा पुत्र कृष्णगोदारा जाति जाट निवासी चक 8 एस.एच.पी.डी. तहसील सूरतगढ़ को 1.1390 हैक्टेयर कमांड मय खाला खातेदारी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाते है। जमाबन्दी मे दर्ज नाम व हिस्सा प्रतिवादी न0 1 कालासिंह, प्रतिवादी न0 3 बलवन्त सिह व प्रतिवादी न0 4 रूप सिंह के नाम कलमजन किये जाते हैं व प्रतिवादी संख्या 2 नंद सिह के नाम पूर्व से दर्ज 5/8 हिस्सा के स्थान पर मुताबिक डिक्री 0.9990 है0 मय खाला दर्ज किया जावे। तहसीलदार सूरतगढ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे अमलदरामद करे ।

नोज..... × ..... मुबलिग.....× ..... बाबत.....×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ..... × ..... फस्दो की पालना ..... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 07.06.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:45:34 IST
Reason: SelfAttested

(सीता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)